तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4652/2006/भरतपुर रामस्वरूप बनाम कपूरचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, मृतक प्रार्थी के वारिसान की ओर से
श्री राजेश गौतम, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, अप्रार्थी सं01

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.01.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उप जिला कलक्टर ने वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि दावे की मद संख्या-5 में खसरा नम्बर 35 वाकै ग्राम बरावली तहसील डीग का वर्णन करते हुए इसके पुराने नम्बरों के शेष रकबे से विवादित खसरा नम्बर-43 बना दिया, जिसका जवाबदावा पेश करते हुए प्रतिवादी अप्रार्थी ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4652/2006/भरतपुर रामस्वरूप बनाम कपूरचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्व में दावा किया जाना लिखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 34 दोनों दावों में विवादित होने से दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस बिन्दू पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि दोनों दावों में पक्षकार समान है तथा विवादित आराजी भी लगभग समान होने से दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2014 डब्ल्यूएलसी (4) पेज 293, 2012 आरआरटी ापेज 120, 2013डीएनजे (3) पेज 1262 एवं 2012 आरबीजे (19) पेज 478 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में आराजी खसरा नम्बर 34 विवादित है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 व 42 विवादित है उक्त वाद में खसरा नम्बर 34 विवादित नहीं होने से दोनों दावों की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती, ना ही वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4652/2006/भरतपुर रामस्वरूप बनाम कपूरचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रार्थी रामस्वरूप की ओर से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 व 42 की भूमि बाबत् दिनांक 11–11–2003 प्रस्तुत किया गया। वादपत्र की मद संख्या–5 में खसरा नम्बर 34 की आराजी को वादी प्रार्थी के साबिक खसरा नम्बर के कुछ रकबे से बनना भी अंकित किया। इस प्रकार से वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में भी खसरा नम्बर 34 भी विवादित है। इसी प्रकार अप्रार्थी कपूरचन्द की ओर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद में खसरा नम्बर 34 की भूमि बाबत् दिनांक 6–9–2003 को प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रार्थी रामस्वरूप की ओर से कपूरचन्द के विरूद्ध अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया गया, जिसमें नवीन खसरा नम्बर 34 वादी प्रार्थी की साबिक आराजी के कुछ रकबे से कायम किया जाना कथन किया। इसी प्रकार दूसरा वाद अप्रार्थी कपूरचन्द की ओर से रामस्वरूप के विरूद्ध केवल खसरा नम्बर 34 की आराजी बाबत् प्रस्तुत किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि दोनों दावों में मुख्यतः विवाद नवीन खसरा नम्बर 34 की भूमि बाबत् ही है तथा दोनों दावों में पक्षकार समान है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में इसी आशय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4652/2006/भरतपुर रामस्वरूप बनाम कपूरचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि दोनों दावों की विषय वस्तु एवं विवादित आराजी समान हो तो दोनों दावों को समेकित किया जाना सुनवाई की जानी चाहिए। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय दिनांक 10-07-2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 203/2003 बउनवानी रामस्वरूप बनाम कपूरचन्द एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 177/2003 बउनवानी कपूरचन्द बनाम रामस्वरूप को समेकित किया जाकर दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य